

10.8.18 फजावली पेशा, इ. वकील वादी उपस्थित है।  
वकील वादी ने वाद के आगे नहीं चलाने का  
निवेदन किया है एवं Not Press भी किया है।  
अतः वादी अथ Not Press करने से वादी का  
वाद Not Press में खारिज किया गया। फजावली  
दस्तावेज सुमाह होकर यह नम्बर से कम है।  
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

—/—  
रूप खण्ड अधिकारी  
सौभर लेक